न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 03/2021 आवंटन नियम 14(4)

1. बाबूलाल पुत्र रेवड मल
2. राकेश पुत्र रेवड मल
3. रामधन पुत्र भोंरीलाल

जाति गुर्जर निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गौरूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम खवारावजी तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) रा.अ.कृ.भू.आ.नियम 1970

उपस्थित–1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः 25.01.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.06.1989 को ग्राम खवारावजी के खसरा नंबर 3117 रकबा 13 एयर, खसरा नंबर 3136 रकबा 06 एयर व खसरा नंबर 3138 रकबा 08 एयर कुल किता 3 रकबा 27 एयर भूमि का आवंटन कन्हैयालाल पुत्र गौरूराम बैरवा को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं 1 के नाम दिनांक 01.06.1989 को पारित प्रश्नगत आवंटन आदेश आराजी खसरा नंबर 313 रकबा 0.08है. वाके ग्राम खवारावजी तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा विधि प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय केग सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 ने भू आवंटन हेतु आवेदन किया जिसमें किसी खसरा नंबर का उल्लेख नहीं किया है। आवंटन आवेदन के चरण सं0 4 में खसरा नंबर 592 रकबा 26 एयर. व खसरा नंबर 593 रकबा ... एयर अंकित किया है जो पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 की ... भूमि है। यानि इन खसरा नंबरान की भूमि का अप्रार्थी सं0 1 ... होकर उक्त भूमियां गैर खातेदारी में अंकित है। रिपोर्ट गिरदावर जिस पर गिरदावर के हस्ताक्षर नहीं है, के नीचे खसरा नंबर 3117 रकबा 13 एयर, खसरा नंबर 3136 रकबा 06 एयर व खसरा नंबर 3138 रकबा 08 एयर कुल रकबा 27 एयर अंकित किया गया, किसी के हस्ताक्षर नहीं है। इन खसरा नंबर की भूमि का आवंटन अप्रार्थी द्वारा चाहा गया है, यह प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अस्पष्ट है जिसको प्रस्तुत करने की तिथि, स्थान आदि रिक्त है तथा प्रार्थना पत्र का सत्यापन भी नहीं हुआ

Signature Not Verified.
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:20 IST
Reason: SelfAttested

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

है। भू आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1.6.1989 को ग्राम पंचायत मुख्यालय खवारावजी में आयोजित होने से पूर्व अप्रार्थी के नाम आवंटित खसरा नंबर वर्णित चरण सं. 3 के आवंटन हेतु न तो ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों की कोई सूची तैयार की गई और ना ही उक्त खसरा नंबर के आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी की गई जो आवंटन नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही अप्रार्थी सं02 द्वारा की जानी थी। अतः प्रार्थीगण को आवंटन खसरा नंबर के आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी होना संभव नहीं था। सरकार द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन का मुख्य उद्देश्य अन्न उत्पादन को बढावा देना था। अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में आवंटन हेतु जिन खसरा नंबर की सिफारिश की गई इन खसरा नंबर का पृथक–पृथक 13 एयर, 6 एयर व 8 एयर है जो छोटी पट्टी के रूप में स्थित है। आवंटन का उद्देश्य हेतु इनका आवंटन समीपस्थ फसल नंबर के खातेदारान को ही किया जाना वांछनीय था। आवंटन अप्रार्थी सं0 1 को उक्त खसरा नंबर के आवंटन आदेश से आवंटन के उद्देश्य की पूर्ति संभव ही नहीं है। विभिन्न स्थान पर इन खसरा नंबर को आवंटी द्वारा आज दिन तक कभी काश्त नहीं की गई और ना ही काश्त किया जाना संभव हो सकता है।प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3140 रकबा 70 एयर से लगती हुई खसरा नंबर 3138 रकबा 8 एयर है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में मिली हुई है। इस आराजी पर अप्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर सदैव से काबिज है। इस भूमि में प्रार्थीगण का बनाया हुआ पुख्ता कूप स्थित है। इस खसरा नंबर में नीम के पेड, बबूल के चार पेड तथा 3 पेड पापड के विधमान है, जिनकी सार संभाल प्रार्थीगण ने की है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 3138 के संबंध में आवंटन से पूर्व कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे भूमि की स्थिति की जानकारी आवंटन सलाहकार समिति को नहीं हुई। आवंटन आदेश पुख्ता कूप व पेडों की भूमि का किया जाना संभव नहीं था।प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 3138 के आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 25.1.2021 को हुई जब अप्रार्थी सं1 ने इस भूमि को अपने नाम आवंटन होना बताकर विक्रय करने का प्रयास किया। भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश अनियमित, अनाधिकृत है जिसे चुनौती देने की समय सीमा निर्धारित नही है। अतः प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दिनांक 1.6.1989 को पारित प्रश्नगत आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 1.6.1989 को कमेटी की पूर्ण कोरम में किया गया था। आवंटी कन्हैयालाल पुत्र गौरूराम बैरवा द्वारा भूमि आवंटन हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर प्रस्तुत किया गया था। आवेदन पत्र में खसरा नंबर 592 व 593 का आवंटन चाहा गया था, किन्तु उक्त खसरा नंबर की भूमि रिक्त नहीं होने पर कमेटी द्वारा अन्य भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि आवंटन के पश्चात कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही प्रार्थी भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन फार्म भरकर प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का ने आवेदन पत्र की जांच की गई है। उक्त भूमि आवंटन आवेदन पत्र पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer-ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:20 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थी का अप्रार्थीगण सं. 1 को आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/वास्ता नहीं है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत आवंटित भूमि को लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया है। प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर ना तो वर्तमान में कब्जा काश्त है और ना ही पूर्व में कभी रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम मे किया गया है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1989 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा बोगस, मिथ्या एवं निरधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को अत्यधिक विलंब से अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 32 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी का प्रश्नगत आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. को आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति दौसा कैम्प खवारावजी द्वारा दिनांक 1.6.1989 को अप्रार्थी कन्हैयालाल पुत्र गौरूराम बैरवा निवासी खवारावजी को ग्राम खवारावजी तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान को ग्राम खवारावजी स्थित खसरा नंबर 3117 रकबा 13 एयर, खसरा नंबर 3136 रकबा 06 एयर व खसरा नंबर 3138 रकबा 08 एयर कुल किता 3 रकबा 27 एयर भूमि का आवंटन किया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी कन्हैयालाल द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का की जांच आवेदन पत्र पर अंकित है। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में खातेदारी कब्जे में है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कानि किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3140 के लगती हुई अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि खसरा नंबर 3138 है, उक्त आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को लगभग 32 वर्ष तक खातेदारी भूमि के लगती हुई भूमि के आवंटन की जानकारी नहीं होना संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:20 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि आवंटन आदेश दिनांक 1.6.1989 को लंबी अवधि बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलंब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही प्रार्थीगण यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फ्रोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन किया जाना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 1.6. 1989 के द्वारा आवंटी कन्हैयालाल के पक्ष में ग्राम खवारावजी के खसरा नंबर 3117 रकबा 13 एयर, खसरा नंबर 3136 रकबा 06 एयर व खसरा नंबर 3138 रकबा 08 एयर कुल किता 3 रकबा 27 एयर भूमि का किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:20 IST
Reason: SelfAttested